कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला– होशंगाबाद (म.प्र.)

(फोन– 07574–253655, E-mail- dcourthos-mp@nic.in)

विविध आदेश

क्रमांक क्य–1 / दो–1–8 / 19 होशंगाबाद दिनांक 12.05.2020

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के ई–मेल परिपत्र कमांक ए / 930 जबलपुर, दिनांक 11.05.2020 के द्वारा कोरोना वायरस (कोविड–19) के संक्रमण से बचने के लिए दिनांक 17.05.2020 तक लॉकडाउन की अवधि में रजिस्ट्री परिपत्र कमांक 911 दिनांकित 05.05.2020 के अनुकम में प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक अधीनस्थ न्यायालयों के कार्य के समय में आंशिक परिवर्तन करते हुए सत्र न्यायालय एवं अपर सत्र न्यायालयों के लिए प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक तथा समस्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–एक एवं व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–दो के न्यायालयों के कार्य का समय दोपहर 2.00 बजे से सांयकाल 5.00 बजे तक निर्धारित किया गया है। रजिस्ट्री के उक्त परिपत्र के पालन में जिला मुख्यालय होशंगाबाद एवं जिले की प्रत्येक तहसील स्थित सिविल न्यायालयों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी शासकीय सेवकों की न्यूनतम 30 प्रतिशत से अधिकतम 50 प्रतिशत तक उपस्थिति पीठासीन अधिकारी के निर्देशानुसार सुनिश्चित की जावेगी, इसके अतिरिक्त आवश्यक अनुभागों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी शासकीय सेवकों की न्यूनतम उपस्थिति निम्नानुसार रहेगी :–

तालिका कमांक–1

क0	न्यायालयों के नाम	कार्य का समय
1	जिला एवं सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश (अ.नि.) होशंगाबाद तथा समस्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश होशंगाबाद / इटारसी / पिपरिया / सोहागपुर	प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक
2	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होशंगाबाद एवं समस्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–एक एवं वर्ग–दो / न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम / द्वितीय श्रेणी होशंगाबाद / इटारसी / पिपरिया / सोहागपुर / सिवनीमालवा	दोपहर 2.00 बजे से सांयकाल 5.00 बजे तक

तालिका कमांक–2

क0	अनुभाग का नाम	कार्य का समय	रिमार्क
1	कार्यालय / स्थापना शाखा, सांख्यिकीय अनुभाग	प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक	प्रशासनिक अधिकारी / एक उपप्रशासनिक अधिकारी / लेखापाल / सहायक लेखापाल अथवा लेखा शाखा में आसजित लेखा प्रशिक्षित कर्मचारियों में दो–दो दिन के कम में तथा प्रेषक लिपिक अथवा कार्यालय लिपिक में से एक अधिकत 30 से 50 प्रतिशत उपस्थिति होंगे।
2	नजारत अनुभाग	प्रातः 10.30 बजे से सांयकाल 5.30 बजे	जिला नाजिर एवं विकय अमीन प्रातः 10.30 बजे से

		तक	दोप. 2.00 बजे तक तथा नायब नाजिर(निर्वाह स्थापना) तथा नायब नाजिर(मालखाना) दोप. 2.00 बजे से सायंकाल 5.30 बजे तक। जिले की तहसील स्थित नजारत अनुभाग में पूर्वान्ह से मध्यान्ह तक नायब नाजिर एवं मध्यान्ह से अपरान्ह तक विक्रय अमीन उपस्थित होंगे।
3	प्रतिलिपि अनुभाग	प्रातः 10.30 बजे से सायंकाल 5.30 बजे तक	पूर्वान्ह में जिला मुख्यालय पर दो सहायक प्रतिलिपिकार एवं अपरान्ह में प्रधान प्रतिलिपिकार एवं एक सहायक प्रतिलिपिकार कुल दो–दो तृतीय श्रेणी व एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी प्रतिदिन कार्य पर उपस्थित होंगे। जिले की तहसील इटारसी में पूर्वान्ह में कु. दीपिका धुर्वे एवं अपरान्ह में कु. प्रेमलता यदुवंशी कर्तव्य पर रहेंगी। शेष तहसील पिपरिया, सोहागपुर एवं सिवनीमालवा में प्रतिलिपिकार पूर्ण दिवस कार्यालय समय में कर्तव्य पर उपस्थित रहकर कार्य करेंगे।
4	अभिलेखागार अनुभाग	प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक	जिला मुख्यालय पर प्रधान/सहायक अभिलेखापाल अथवा दो सहायक अभिलेखापाल प्रतिदिन अति आवश्यक प्रतिलिपि आवेदन एवं मांग पत्र तथा संविदा सहायकों से विनिष्टिकरण कार्य संपादित कराने के लिए उपस्थित होंगे।
5	कम्प्यूटर सर्वर रूम	प्रातः 10.30 बजे से सायंकाल 5.30 बजे तक	जिला मुख्यालय होशंगाबाद हेतु सिस्टम आफिसर प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक एवं सिस्टम असिस्टेंट दोपहर 02:00 बजे से 05:30 बजे तक कार्य संपादित करेंगे इसके अतिरिक्त जिला होशंगाबाद की सभी तहसील न्यायालयों में सिस्टम असिस्टेंट/आई.टी. असिस्टेंट की उपस्थिति के अलावा डी.एस.ए./ एस.ए./

			पंजीयन लिपिक / तलवाना लिपिक में से पूर्वान्ह में दो तथा अपरान्ह में दो शासकीय सेवक व एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उपस्थित होकर कार्य संपादित करेंगे।
6	ग्रंथालय अनुभाग होशंगाबाद	प्रातः 10.30 बजे से सांया 5.30 बजे तक	मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर से स्थापना पर पदस्थ चार प्रशिक्षु व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–दो के ऑनलाईन चार सप्ताह का इण्डक्शन प्रशिक्षण न्याय सेवा सदन के प्रशिक्षण हॉल में आवश्यक विधि पुस्तकें, स्टेशनरी, फोटो स्टेट मशीन के साथ श्री नीरज सेलट, सहायक ग्रंथपाल की ड्यूटी प्रातः 10.30 से सायंकाल 5.30 बजे तक रहेगी। मुख्य ग्रंथपाल आवश्यकता पड़ने पर बुलाये जाने की स्थिति में भी ग्रंथालय अनुभाग में उपस्थित होंगे।
7	मालखाना अनुभाग, होशंगाबाद	---	आवश्यकता पड़ने की स्थिति में दूरभाष से बुलाये जाने पर मालखाना अनुभाग खोलकर कार्य संपादित किया जावेगा।

टीप :– उपरोक्त विविध आदेश के अलावा जिला मुख्यालय होशंगाबाद एवं जिले की समस्त तहसील स्थित सिविल न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी तथा अनुभाग प्रभारी अधिकारी कोविड–19 के संकमण की स्थिति को देखते हुए टोटल लॉकडाउन के निर्देशान्तर्गत न्यूनतम 30 से अधिकतम 50 प्रतिशत तक तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी शासकीय सेवकों की उपस्थिति वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालयों का अत्यावश्यक कार्य संपादन के लिए निर्देशित कर बुलाकर कार्य संपादित करावेंगे।

संलग्न : संदर्भित रजिस्ट्री परिपत्र।

(चन्द्रेश कुमार खरे)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
होशंगाबाद

पृष्ठांकन कमांक 503/दो–1–8/19 होशंगाबाद दिनांक 12.05.2020

प्रतिलिपि,

(1) रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।

(2) प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, होशंगाबाद की ओर भेजकर अनुरोध है कि वे अपनी स्थापना के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी शासकीय

सेवकों की उपस्थिति के संबंध में पृथक से आदेश जारी कर सकते हैं।

(3) समस्त न्यायाधीशगण, होशंगाबाद/इटारसी/पिपरिया/सोहागपुर/सिवनीमालवा, जिला– होशंगाबाद (म.प्र.)

(4) जिला दण्डाधिकारी, होशंगाबाद

(5) अध्यक्ष/सचिव अभिभाषक संघ होशंगाबाद/इटारसी/पिपरिया/सोहागपुर/सिवनीमालवा, जिला– होशंगाबाद (म.प्र.)

(6) लोक अभियोजक/समस्त अपर लोक अभियोजक, होशंगाबाद (म.प्र.)

(7) जिला अभियोजन अधिकारी/समस्त सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, होशंगाबाद (म.प्र.)

(8) पुलिस अधीक्षक होशंगाबाद की ओर समस्त थाना प्रभारियों को सूचित किये जाने एवं न्यायालय में (कन्टेनमेंट जोन/हॉटस्पॉट क्षेत्र के कर्मचारियों को छोड़कर) जिन कर्मचारियों की अत्यावश्यक डियूटी लगायी गयी है, उन्हें न्यायालय आने जाने की अनुमति दिये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।

(9) सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण होशंगाबाद (म.प्र.)

(10) जेल अधीक्षक केन्द्रीय जेल होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।

(11) जिला जनसंपर्क अधिकारी होशंगाबाद की ओर जिला व संभाग के दैनिक समाचार पत्र कमशः दैनिक भास्कर, जागरण एवं पत्रिका में प्रकाशनार्थ कार्यवाही हेतु प्रेषित्।

(12) प्रशासनिक अधिकारी/जिला नाजिर होशंगाबाद की ओर तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की 1/3 या 1/4 डियूटी लगवाये जाने हेतु प्रेषित्।

(13) सिस्टम ऑफीसर होशंगाबाद की ओर भेजकर निर्देश है कि समस्त संबंधितों को ई–मेल/व्हाट्सएप के माध्यम से सूचित करें एवं परिपत्र की प्रति होशंगाबाद जिले की वेबसाईट पर अपलोड करें।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
होशंगाबाद(म.प्र.)

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH

PRINCIPAL SEAT AT JABALPUR

// CIRCULAR //

No. A/930 / Jabalpur dated 11/05/2020

In continuation to the earlier Circular No. A/911 dated 05.05.2020 issued by this High Court, Clause No.1 has been modified as below:

"The working hours of the courts of the District and Session Judges/Addl. District and Sessions Judges shall be from 11:00 am to 02:00 pm while the working hours of Civil Judge Class-I & II shall be from 02:00 pm to 05:00 pm"

By order of Hon'ble the Chief Justice

11.5.2020

(RAJENDRA KUMAR VANI)

REGISTRAR GENERAL